ग्राम पंचायत खणी, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2022 से 03/2024

भाग-एक

1 **प्रस्तावना**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के फ़लस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक-07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व हिमाचल प्रदेश, राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत खणी, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों का अंकेक्षण कार्य हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 तक के दौरान ग्राम पचांयत खणी में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्री श्याम सिंह	01-04-2022 से 31-03-2024

सचिव

क्रम संख्या	सचिव का नाम	अवधि
1.	श्री पवन कुमार	01-04-2022 से 31-03-2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत खणी, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है, जोकि उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु विशेष रूप से लाई जाती है।

क्र० स०	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि (₹ लाखों में)
01.	पंचायत राजस्व गृहकर एवं विवाह पंजीकरण शुल्क इत्यादि का वसूली/जमा न किये जाने बारे।	7.1 7.2	2.79
02.	आपूर्तिकर्ताओं से बिना W, X फॉर्म प्राप्त किये अनियमित भुगतान के कारण सरकार को रॉयल्टी के तौर राजस्व की वित्तीय हानि।	8.2	9.63 0.64
03.	प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) की सम्भावित वित्तीय हानि।	8.3	0.46
04.	ठेकेदारों/संविदाकारों से टी०डी०एस० की कटौती न करने के कारण सरकारी राजकोष को वित्तीय हानि बारे।	8.4	0.14
05.	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना से राशि का सम्भावित दुर्विन्योजन।	9.1	0.57
06.	अनुमोदित दरों से अधिक दर से भुगतान के कारण अपव्यय/अधिक भुगतान।	9.2	0.12
07.	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय बारे।	9.4	6.87
08.	निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाओं में गलत गणना के कारण का अधिक भुगतान बारे।	9.5	0.04
09.	सयुंक हस्ताक्षर के बिना ही अनियमित भुगतान करने बारे।	9.7	5.96

(ग) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत खणी का अंकेक्षण, अवधि 04/2018 से 03/2029 के लिये किया गया था जिसमें सम्मिलित अनिर्णीत पैरों के समायोजन बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/2024/02 दिनांक 18-07-2024 द्वारा सचिव को स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया। जिसका कोई भी उत्तर सचिव द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। गत अंकेक्षण पैरों पर कोई भी कार्रवाई न करना न केवल नियमों के प्रतिकूल है, अपितु इससे अंकेक्षण का प्रयोजन ही निष्फल हो जाता है यह गम्भीर प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाया जाता है। विगत अंकेक्षण प्रतिवेदन में शामिल पैरों पर शीघ्र ही कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाये। वर्तमान अंकेक्षण उपरान्त अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है :-

1. अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2018 से 03/2019 तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या	पैरा स्थिति	टिप्पणी
1.	3	अनिर्णीत	-
2.	4.1	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित।
3.	4.2 व 4.3	अनिर्णीत	-
4.	5	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित।
5.	6	अनिर्णीत	-
6.	7	अनिर्णीत	-
7.	7.1	अनिर्णीत	-
8.	8	अनिर्णीत	-
9.	9	अनिर्णीत	-
10.	10	अनिर्णीत	-

11.	11	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित।
12.	12	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित।
13.	13	अनिर्णीत	-

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत खणी, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री पवन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 18-07-2024 से 24-07-2024 तक ग्राम पंचायत खणी के कार्यालय में किया गया। वर्तमान निधि लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	आय चयनित माह	व्यय चयनित माह
1.	2022-2023	02/2023	05/2022
2.	2023-2024	02/2024	04/2023

अस्वीकरण:- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत खणी, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 तक के लेखों के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹4800/- आँका गया है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-09 को

प्रेषित करने हेतु पंचायत सचिव से अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/2024/12 दिनांक 24-07-2024 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 **वित्तीय स्थिति**

ग्राम पंचायत खणी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

4 **(अ) स्व:-स्त्रोत व अनुदान** ग्राम पंचायत खणी के अवधि 04/2022 से 03/2024 तक स्व-स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1 व 2** में भी दिया गया है:

1. स्व:-स्त्रोत

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2022-23	**936511.55**	**1206196.00**	**2142707.55**	**1171874.00**	**970833.55**
2023-24	**970833.55**	**646290.00**	**1617123.55**	**1129640.00**	**487483.55**

2. अनुदान

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
20222023	**4301392.00**	**5188583.21**	**9489975.21**	**4342396.21**	**5147579.00**
20232024	**5147579.00**	**3219014.89**	**8366593.89**	**4693655.89**	**3672938.00**

कुल योग (1+2) **₹487483.55 + ₹3672938.00** = **₹4160421.55**

(ब) ग्राम पचांयत खणी, का दिनांक 31/03/2024 को बैंक खातों में अन्तशेष विवरण।

क्र०स०	अनुदान का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि 31-03-2024
1.	15th FC	50100355682955	HDFC Bharmour	**3106214.00**
2.	14th FC	50100065724465	HDFC Bharmour	**0.00**
3.	SBM	501009459109	HDFC Bharmour	**72187.00**
4.	VKVNY/LADF/ SF/General	17810103202	HPSCB Bharmour	**338173.55**

	Head			
5.	LADA Share	99161301601757	HPGB Bharmour	**248098.00**
			Cash In hand	**52.75**
			TOTAL	**₹3764725.30**

अन्तर (अ-ब) ₹4160421.55 - ₹3764725.30 = ₹395696.25

5.1 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹3.96 लाख का अन्तर :-

अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत खणी, द्वारा हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **7(3) व 10(1)** की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की है। जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2024 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹395696.25 का अन्तर बैंक पासबुक में कम शेष के रूप में है। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा संख्या 4 में दिया गया है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 22-07-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, भविष्य में बैंक समाधान विवरणी मासिक आधार पर तैयार की जाएगी एवं वर्तमान अंतर का मिलान करके लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा।

अत: भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा वर्तमान में अन्तर का अति शीघ्र मिलान भी किया जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

6.1 विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की राशि ₹36.73 लाख का अवरोधन:-

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट 1 व 2** पर अनुदानों से सम्बधित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2024 तक अनुदान से प्राप्त अनुदान राशियों में से ₹3672938 की राशि (रोकड़ बही के अनुसार) उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत

द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था। जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओ से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। यह अनियमितिता सम्बंधित पंचायत के कर्मचारियों व पंचायत प्रतिनिधियों के अकुशल वित्तीय प्रबन्धन को भी इंगित करता है।

इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 22-07-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त स्पष्ट किया कि, भविष्य में प्राप्त अनुदान को समय पर खर्च किया जायेगा। अतः अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.1 पंचायत राजस्व, गृहकर की बकाया राशि ₹2.75 लाख की वसूली न करने बारेः-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि, समस्त राजस्व को नियमित व अबिलम्ब रूप से वसूलने व सम्बधित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें। तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा।

ग्राम पंचायत खणी के अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत सचिव द्वारा सम्पति कर (गृहकर) रजिस्टर को संधारित नहीं किया गया था। जिस कारण सम्पति कर की वार्षिक मांग व गत वकाया बारे पुष्टि नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा धारा 114 के अनुरूप गृहकर का समय पर भुगतान न करने के लिए चुककर्ताओं पर दण्ड लगाने हेतु भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। पंचायत द्वारा पंजीकृत परिवारों के आधार पर उपलब्ध करवाए गए अभिलेखानुसार निम्न ₹275000 की राशि वसूली हेतु शेष थी।

वित्तीय वर्ष	गत शेष	कुल परिवार	दर	वर्ष के दौरान मांग	कुल मांग	कुल वसूली	वकाया राशी
2022-23	106700	840	100	84000	190700	700	190000
2023-24	190000	850	100	85000	275000	0	275000

इस सम्बध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-13 दिनांक 24-07-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, पंचायत राजस्व की वसूली समय पर की जाएगी। उत्तर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि हो सकती है। अतः सम्पति/गृहकर की बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की कम वसूली व वसूली न करने के कारण तथा वसूली गई राशि को सरकारी राजकोष में जमा न करने से हुई वित्तीय हानि बारे :-

हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1996 की धारा 22 एवं हि०प्र० सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग की अधिसूचना संख्या WLF-A(3)-1/97, दिनांक 17-12-2004 व SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04-10-2016 एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marrige-8107-10 दिनांक 28-10-2016 के अनुसार विवाह पंजीकरण के शुल्क की वसूली करने उपरान्त वसूली गई राशि को सरकारी राजकोष के प्राप्ति शीर्षक खाता संख्या "0235-00-800-03" में विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जमा की जानी अपेक्षित है।

(क) वसूली गई राशि को सरकारी राजकोष में जमा न करना :

अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि, उक्त पंचायत सचिव द्वारा संलगन परिशिष्ट अनुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के तौर पर वसूली गई राशि ₹1200/- को सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाया गया था अपितु इसे पंचायत के सभा निधि के बैंक खाते में रखा गया है जोकि उक्त नियमानुसार अनुचित है।

(ख) विवाह पंजीकरण उपरान्त अपेक्षित शुल्क की वसूली न करना तथा बिलम्ब शुल्क की वसूली न करना

पंचायत अभिलेखों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा विवाह पंजीकरण उपरान्त अपेक्षित शुल्क की वसूली नहीं की गई तथा कुछ मामलों में कम या बिलम्ब शुल्क की वसूली नहीं की गई जिस कारण सरकार को विवाह पंजीकरण शुल्क के तौर पर राशि ₹3200 की वित्तीय हानि जिसका पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट 6 में दिया गया है सम्बंधित सचिव की लापरवाही के कारण हुई है।

इस सम्बन्ध में जारी अधियाचना संख्या-13 दिनांक 24-07-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया कि, विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली उपरान्त उसे शीघ्र ही सरकारी राजकोष में जमा करवा दिया जायेगा। अत: उपरोक्त राशि ₹4400 (3200+1200) की वसूली करने उपरान्त सम्बन्धित खाते/कोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा गत वर्षों में इस प्रकार से सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाई गई राशि को भी जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये। भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

8.1 राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में पंचायत द्वारा चल-अचल सम्पतियों को दर्ज न करना:-

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न एप्लिकेशन्स हैं जिनसे पंचायत की दैनिक कार्रवाई जैसे कि, पंचायत द्वारा की गई सेवाओं, सामान के खरीद, भुगतान एवं पंचायत की सभी चल-अचल सम्पतियों का (उनके वास्तविक मूल्य पर) इन्द्राज करना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत खणी के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में अर्जित सभी चल-अचल सम्पतियों एवं किये गए कार्यों को इन्द्राज/दर्ज नहीं किया गया था। जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि तक कई कार्यों को पूर्ण किया गया था। लेकिन पंचायत द्वारा कोई भी कार्य उक्त एप्लीकेशन में नहीं किया जा रहा है जोकि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतया

अवहेलना है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 19-06-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत की सभी चल-अचल सम्पतियों का इन्द्राज राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका एप्लीकेशन में कर दिया जायेगा। अत: मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये।

8.2 आपूर्तिकर्ताओं से बिना W, X फॉर्म के राशि ₹9.63 लाख के अनियमित भुगतान के कारण सरकार को रॉयल्टी के तौर पर ₹0.64 लाख के राजस्व की वित्तीय हानि :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फॉर्म-W) या सप्लीमेंट्री ट्रांजिट पास (फॉर्म-X) का उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची अनुसार रॉयल्टी का भुगतान पेनल्टी सहित किया जाना अपेक्षित है।

परन्तु ग्राम पंचायत खणी, के अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर पाया गया कि पंचायत द्वारा उक्त नियमों एवं आदेशों की पूर्णत: अवहेलना की जा रही है। पंचायत द्वारा ठेकेदारों से अन्नापति प्रमाण पत्र/W,X-फॉर्म लिए बिना ही रेत,बजरी व पत्थर इत्यादि की आपूर्ति ली गई है। जिसके परिणामस्वरूप बिना W,X-फॉर्म लिए बिना जहाँ आपूर्तिकर्ताओं को राशि ₹962821 का अनियमित भुगतान किया गया वही पर उक्त राशि पर सरकार को राशि ₹64168/- (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट "4" में दिया गया है।) की रॉयल्टी की वित्तीय हानि भी हुई है।

इस गम्भीर अनियमितिता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 04 दिनांक 22-07-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि, नियमों की जानकारी न होने के अभाव में आपूर्तिकर्ताओं से रॉयल्टी की न तो कटौती की गई और न ही W,X फॉर्म लिए गए लेकिन इस सम्बन्ध में शीघ्र ही नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवा

दिया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि उक्त फॉर्म उपरान्त ही क्रय किया जाना अपेक्षित था।

अतः उक्त प्रकरण से न केवल सरकारी राजस्व का वित्तीय रिसाव हो रहा है अपितु इससे अवैध खनन की संभावना को भी नहीं नकारा जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितिता है जो उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है। अतः इस अनिमितिता को न्योयचित ठहराया जाये अन्यथा उद्योग विभाग के नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाये एवं कृत कार्रवाई/अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.3 प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) के तौर पर राशि ₹0.46 लाख की सम्भावित वित्तीय हानि बारे।

केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार रेत, बजरी एवं पत्थर इत्यादि पर 5% की दर से GST का भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत खणी के अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि की खरीद गई थी एवं पंचायत द्वारा इन्हें राशि ₹962821/- भुगतान (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट "4" में दिया गया है।) किया गया था परन्तु उक्त क्रय सामग्री के अधिकतर आपूर्तिकर्ता GST पंजीकृत नहीं है। फर्मों द्वारा पंचायत को प्रस्तुत बिल प्रॉपर/टैक्स बिल/कम्प्यूटर जनरेटेड न होकर केवल सादे कागज,रसीद,कैश मीमो व परफोर्मा बिल ही हैं जिससे इन बिलों की सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। यह न केवल अनुचित प्रक्रिया है अपितु एक प्रॉपर/टैक्स बिल के अभाव में सरकार को देय वस्तु व सेवा कर (GST) के तौर पर लगभग राशि ₹45848.62 की सम्भावित वित्तीय हानि भी हुई है।

उक्त गम्भीर प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 03 दिनांक 19-06-2024 द्वारा सचिव के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया जिसके प्रत्युतर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त पत्र द्वारा सूचित कि, उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा पंचायत को केवल सादे कागज,रसीद,कैश मीमो व कुच्छ

परफोर्मा बिल ही प्रस्तुत किया गए हैं यदापि पंचायत द्वारा इन बिलों पर भुगतान GST सहित किया गया है परन्तु इस सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी न होने के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि वास्तव में GST को सरकारी राजकोष में जमा करवाया गया है या नहीं इस मामले की पंचायत स्तर पर छानबीन करके कृत कार्रवाई से शीघ्र ही अंकेक्षण विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा एवं भविष्य में टैक्स बिलों पर ही भुगतान किया जायेगा।

अत: उक्त प्रकरण को तथ्यों सहित न्योयचित ठहराया जाये एवं उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा यदि कोई उक्त बिलों के समबन्ध में कर भुगतान किया गया हो तो उनका साक्ष्य अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ अंकेक्षण विभाग को शीघ्र प्रेषित किया जाये अन्यथा नियमविरुद्ध किये गए भुगतानों पर देय कर की पूर्ण गणना उपरान्त उक्त राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके समबन्धित खाते/कोष में जमा करवाई जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया जाये। यह गम्भीर प्रकरण उच्चाधिकारियों के समक्ष इस आशय से लाया जाता है कि; ऐसे प्रकरणों की गहन जांच की नितांत आवशयकता है ताकि किसी भी प्रकार से कर अदेयता के मामलों की संभावना को पूर्णत: नकारा जा सके।

8.4 ठेकेदारों/संविदाकारों से टी०डी०एस० की कटौती न करने के कारण सरकार को राशि ₹0.14 लाख की वित्तीय हानि बारे :-

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194(C) के अनुसार एवं वस्तु व सेवाकर अधिनियम 2017 की धारा 51(1) के अंतर्गत TDS की कटौती करना एवं उसे सरकारी कोष में समयबन्ध तिथि को जमा करवाना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत खणी के अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान संग्लन परिशिष्ट "7" के अनुसार राशि ₹716084/- का भुगतान किया गया। परन्तु उक्त भुगतान करते समय स्त्रोत पर कर कटौती (TDS) नहीं की गई थी। जोकि न केवल आयकर व GST अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों की अवहेलना है अपितु इसके फलस्वरूप सरकारी राजस्व में राशि ₹14321.68/- (2%) की वित्तीय हानि हुई है।

इस अनियमितिता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-09 दिनांक 22-07-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि, टी.डी.एस.के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी न होने के अभाव में इसकी कटौती नहीं की गई परन्तु इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अतः पंचायत द्वारा टी.डी.एस की कटौती न करना, न केवल आयकर व GST अधिनियम की अवहेलना है परन्तु सप्लाईर/ठेकेदार को अनुचित लाभ देकर सरकारी राजस्व की भी हानि है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल नमूना/चयनित माहों के ही भुगतानों को जांचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की विभागीय स्तर पर जाँच करके अपेक्षित टी.डी.एस.की वसूली करना सुनिश्चित करें एवं उक्त राशि व भविष्य में टी.डी.एस. की कटौती नियमित रूप से करके सरकारी कोष में निर्धारित समयावधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.5 राशि ₹24.30 लाख के निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन एवं मापन पुस्तिका इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक ,तकनीकी स्वीकृति, मापन पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है।

पंचायत खणी की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान कनिष्ठ अभियंता व तकनीकी स्तर पर निम्नविवरणनुसार करवाए गए कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, प्राक्कलन माप पुस्तिका, प्रपत्र-34 उपियोगिता प्रमाण पत्र इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गए जिसके अभाव में किये गए कार्यों व उसमे प्रयुक्त सामाग्री/लेबर के व्यय, खपत, सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

क्रम संख्या अनुदान/	कार्य विवरण	स्वीकृत राशि	टिप्पणी
1.LADF	कार्य: रैन शैड नियर खड़ामुख शमशान घाट	300000	MB,,UCC Estimate Work Order and Technical sanction order,Format-34 .etc
2.LADF	कार्य : सराय हरिजन बस्ती अर्की	400000	
3.14th FC	कार्य : रास्ता निर्माण अर्की से शमशान घाट	150000	do
4. 15th FC	कार्य :पंचायत गेस्ट रूम	250000	do
5.15th FC	कार्य : ग्रिल वर्क चकरोता	150000	do
6.VKVNY	कार्य : महिला मंडल भवन चंगुई	180000	MB,Estimate Work Order and Technical sanction order,Format-34
7.LADF	कार्य: स्टेज कार्य खन्णी	300000	
8.15th FC	कार्य: इंटरलॉकिंग टाइल गोई से द्रोवी	200000	,UCCEstimate Work Order and Technical sanction order,Format-34
9.15th FC	कार्य : खाता ग्रिल वर्क उपरली व निचली खणी	150000	do
10.LADF	कार्य : चक्का फ्लोरिंग सती माता मंदिर दपौता	300000	do
11.VKVNY	कार्य:पक्का पाथ मेन रोड से नाग मंदिर	50000	do
	कुल योग	**₹2430000**	

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-08 दिनांक 22-07-2024 द्वारा पंचायत सचिव को उक्त अनियमितता के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। इसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा कि, उक्त कार्यो के समस्त अभिलेख कनिष्ट अभियंता के पास विकास खंड कार्यालय में पड़े है यह पंचायत में उपलब्ध नहीं है। उक्त वांछित अभिलेखों का पंचायत में न पाया जाना संदिग्ध व आपत्तिजनक है। उक्त अभिलेखों का पंचायत में उपलब्ध न होना व अंकेक्षण में प्रस्तुत न किये जाने को न्योयचित ठहराये जाये अनुपालना लेखा परीक्षा में वांछित है।

9.1 विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना से राशि ₹0.57 लाख का सम्भावित दुर्विनियोजन:-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमवाली 2002 के नियम **17(2)** के अनुसार एवं प्रधान सचिव वित्त हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या Fin.(C)A(3)-5/2004 के अनुसार राशि **₹**10000 के ऊपर के समस्त भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से किये जाने अपेक्षित हैं सामाग्री के क्रय के लिये आपूर्तिकर्ता को किये जाने वाले **भुगतान केवल क्रॉस चेक द्वारा ही किये जायेंगे** एवं नियम 47 व 48 के अनुसार सभी दावों को सही विशिष्टियां वाले वाउचर द्वारा समर्थित व बिल रजिस्टर में प्रविष्टि तथा नियम 49 के अनुसार किसी भी भुगतान से पूर्व प्रधान व सचिव द्वारा अदायगी आदेश उपरान्त संयुक्त हस्ताक्षरित किया जाना जरुरी है।

ग्राम पंचायत के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना से आगे क व ख विवरणनुसार राशि ₹56500 का भुगतान किया गया है जोकि उक्त नियमों के प्रतिकूल है।

(क) ग्राम पंचायत के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि, VKVNY अनुदान से श्री रोशन लाल को वाउचर संख्या 20 दिनांक 20-05-2022 राशि ₹31500 का भुगतान रोकड़बही पृष्ठ 37 में दर्शाया गया है जिसमें निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गई:-

1. उक्त राशि का भुगतान सादे कागज पर रेत व बजरी लिख कर दिया गया है जबकि न तो सामग्री की मात्रा बिल में और न ही स्टॉक प्रविष्टि दर्शाई गई है जोकि अनुचित है।
2. उक्त राशि का भुगतान क्रॉस चेक, RTGS इत्यादि से न करके बिरयर चेक संख्या 138823 के माध्यम से ही किया गया है जोकि नियम 10(2) की स्पष्ट अवहेलना है।

3. उक्त बिल उक्त अधिनियम के नियम 49 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित/सत्यापित नहीं किया गया गया है जोकि नियमों की स्पष्ट अवहेलना है।

(ख) ग्राम पंचायत के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि, VKVNY अनुदान से श्री राकेश कुमार को वाउचर संख्या 45 दिनांक 30-01-2023 राशि ₹25000 का भुगतान रोकड़बही पृष्ठ 49 में दर्शया गया है जिसमें निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गई:-

1. उक्त राशि का भुगतान (बिल अनुसार) बिना किसी सामग्री के ही कर दिया गया है एवं इस बिल को पंचायत द्वारा भुगतान हेतु पारित प्रस्ताव का भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है जोकि अनुचित है।

2. उक्त राशि का भुगतान क्रॉस चेक, RTGS इत्यादि से न करके बिरयर चेक संख्या 138835 के माध्यम से ही किया गया है जोकि नियम 10(2) की स्पष्ट अवहेलना है।

3. उक्त बिल का भुगतान नियम 49 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार पंचायत के प्रधान व सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किये बिना ही किया गया है जोकि नियमों की स्पष्ट अवहेलना है।

उक्त गम्भीर प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 07 दिनांक 22-07-2024 द्वारा सचिव के समक्ष वस्तुगत स्थिति स्पष्ट करने हेतु रखा गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि, किये गए भुगतानों की पंचायत स्तर पर जांच करके एवं मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अत: उक्त प्रकरण (क व ख) के अंतर्गत किये गए भुगतान न केवल नियमविरुद्ध है अपितु इसमें वर्णित अनियमितताओं के दृष्टिगत यह संदिग्ध व अनुचित प्रतीत होते है जिसमें उक्त राशि के दुर्विनियोजन की संभावना को भी नहीं नकारा जा सकता है। अत: उक्त प्रकरण को तथ्यों सहित न्योयचित ठहराया जाये अन्यथा नियमविरुद्ध किये गए भुगतानों की प्रतिपूर्ति करके शीघ्र ही खाते में जमा करवाई जाये। यह गम्भीर प्रकरण है जोकि कि उच्चाधिकारियों के समक्ष विशेष तौर से लाया जाता

है । पंचायत में इस प्रकार के अन्य प्रकरणों की विभागीय स्तर पर गहन जाँच आवशयक है ताकि किसी भी प्रकार से धन के दुर्विन्योजन की संभावना को पूर्णता नकारा जा सके अनुपालना लेखा परीक्षा में वांछित है।

9.2 अनुमोदित दरों से अधिक दर से भुगतान के कारण राशि ₹0.12 लाख का अपव्यय :-

हि०प्र० पंचायती राज ((वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के **चैप्टर- 9 नियम 76** के अनुसार सम्बन्ध पंचायत का सचिव यदि कोई पंचायत निधि से किये गए अति संदाय/अधिक भुगतान, चाहे सदभाव से किया गया है, की तत्पर वसूली करने का जिम्मेदार होगा।

ग्राम पंचायत के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा 15वें वित्तायोग के अंतर्गत निम्नविवरणनुसार फर्म को अनुमोदित दर से अधिक दर पर भुगतान के कारण राशि ₹11880 का अधिक भुगतान किया गया। इसके अंतर्गत फर्म द्वारा प्रदत कुटेशन में ₹22 (GST सहित) प्रति टाइल की दर से आपूर्ति हेतु सहमति प्रदान की थी परन्तु बिल में अधिक दर ₹25.96/टाइल से दावा किया गया जिसका पंचायत द्वारा भुगतान भी कर दिया गया जोकि अनुचित है।

Supplier Detail	**Vr. No & Date**	**Material & Quantity**	**Expected Payment**	**Actual Payment**	**Excess payment**
1.	2.	3.	4.	5.	6. (5-4)
M/S Th. Dyal Singh,Nurpur	01 & 02/ 05-05-22	InterlockTiles 60mm 3000no.	66000 (3000x22)	77880 (3000x25.96)	11880 (77800-66000)
	Total	**3000 Nos**	**₹66000**	**₹77880**	**₹11880**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 22-07-2024 द्वारा उक्त प्रकरण सचिव के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि, किये गए अधिक भुगतान की प्रतिपूर्ति करके सम्बंधित खाते में जमा करवा दिया जायेगा।

अत: उक्त अधिक भुगतान की नियमानुसार सम्बंधित कर्मचारी से प्रतिपूर्ति करके सम्बन्धित खाते में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाये एवं इस प्रकार के अन्य

प्रकरणों की भी विभागीय स्तर पर जांच की जाये ताकि किसी भी प्रकार से अधिक/अनुचित भुगतान की संभावना को पूर्णत: नकारा जा सके। अनुपालना लेखा परीक्षा में वांछित है।

9.3 बिना प्रॉपर/टैक्स बिलों के राशि ₹7.58 लाख के स्टोर/स्टॉक का अनियमित भुगतान

ग्राम पंचायत खणी के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा संलग्न परिशिष्ट "8" के अनुसार राशि ₹757936 का भुगतान विभिन्न सामग्रियों के क्रय की एवज में किया गया परन्तु इन बिलों के अवलोकन में पाया गया यह बिल प्रॉपर/टैक्स बिल न होकर अभिस्वीकृति सहित सादे कागज पर रसीद मात्र, केश मीमो तथा परफोर्मा बिल हैं इसके अतिरिक्त अधिकतर बिलों पर वेन्डर/आपूर्तिकर्ता का विवरण, GST/TIN संख्या, बिल क्रमांक इत्यादि अंकित नहीं है एवं बिलों पर दिनांक भी हस्तलिखित है एवं बिल संख्या पंचायत द्वारा बिलों पर स्वयं आवंटित की गई है। जिससे कि इनकी सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी इस प्रकार के बिलों की कुच्छ नमूना प्रतिलिपियाँ इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर संलगन हैं।

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 07 दिनांक 22-07-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि कहा कि, अधिकतर आपूर्तिकर्ताओं द्वारा इस प्रकार के बिलों पर दावे किये गए हैं जिनका समय-समय पर पंचायत द्वारा भुगतान किया गया है भविष्य में प्रॉपर टैक्स बिलों एवं मान्य GST धारकों से ही क्रय किया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है। उक्त अनियमितताओं एवं प्रस्तुत उत्तर के आधार पर उक्त व्यय संदिग्ध व अनियमित प्रतीत होता है अत: इस सम्बन्ध में अपना पक्ष ठोस तथ्यों व अभिलेखों सहित यथाशीघ्र प्रस्तुत करते हुए उक्त किये गए व्यय को न्योयचित ठहराया जाये तथा इसे अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ शीघ्र ही प्रेषित किया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.4 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही राशि ₹6.87 लाख के स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते व नियमावली 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकतायें यथा निविदायें,कुटेशन (Quatations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची ,आपूर्ति आदेश इत्यादि प्रावधित है।

परन्तु पंचायत के नमूना/चयनित अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत खणी द्वारा राशि ₹**687055**/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया। (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट "3" में दिया गया है।) जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। उक्त राशि की सामग्री व सेवाओं का क्रय औपचारिकतायें पूर्ण किए बिना ही किया गया। जिससे कि, ग्राम पंचायत को न केवल बाजारी प्रतिस्पर्धा के लाभ से वंचित होना पड़ा बल्कि पंचायती राज अधिनियम 2002 के सरकारी नियमों की अवहेलना भी की गई, जोकि एक गम्भीर अनियमितिता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-05 दिनांक 22-07-2024 द्वारा उक्त प्रकरण सचिव के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि, भविष्य में नियमानुसार सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने उपरान्त ही क्रय किया जायेगा। उत्तर तर्कसंगत नहीं है एवं बिना कुटेशन के क्रय करना संदिग्ध प्रतीत होता है यह मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाया जाता है।

अत: इस अनियमितिता की सक्षम अधिकारी से कार्योतर स्वीकृति लेकर इस व्यय को नियमित करवाया जाए अन्यथा आवश्यक विधिवत औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना, की गई समस्त खरीद से हुई हानि की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके सम्बधित निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.5 निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाओं में गलत गणना के कारण राशि ₹0.04 लाख का अधिक भुगतान बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज ((वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के **चैप्टर- 9 नियम 76** के अनुसार सम्बन्ध पंचायत का सचिव यदि कोई पंचायत निधि से किये गए अति संदाय/अधिक भुगतान, चाहे सदभाव से किया गया है, की तत्पर वसूली करने का जिम्मेदार होगा।

पंचायत के नमूना अंकेक्षण दौरान तकनीकी सहायक द्वारा करवाए गए कार्यों की माप पुस्तिका में निम्नविवरणनुसार गलत गणना के कारण राशि ₹4455 का अधिक भुगतान किया गया।

Item No. & Nomni.	Calculation As per MB	Calculation as per Audit	Difference (2-3)	Excess Qty. & Rate
1.	2.	3.	4.	5.
A.Work : Chakka flooring Mata Mandir Head LADA MB No. 29888 Page 85				
4.P/L CC 1:3:6	3x12x0.70x0.025=2.14	3x12x0.70x0.025=0.63	1.51m3	1.51@432.95
	3x10x0.70x0.025=1.78	3x10x0.70x0.025=0.52	1.26m3	1.26@432.95
		A.Total Quantity	2.77m3	2.77@432.95
		B. Total Amount	Qty*rate	1199.27
C.Less Contractor profit 15 % (1199.27x15/100 i.e 179.89) 1199.27-179.89				1019.38
D.Add Labour Enhancemnet 337% on 1019.38 ie 3435.31				3435.31
Total Amount Overpaid Due to wrong Calcultaion (C+D)				**₹4454.69**

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 30-05-2024 के प्रत्युत्तर में तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, गलत गणना के कारण राशि 4455 की प्रतिपूर्ति करके शीघ्र ही खाते में जमा करवा दी जायेगी। अत: उक्त मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर उक्त राशि की वसूली करके शीघ्र

खाते में जमा करवा दी जाये एवं इस प्रकार के अन्य मामलों की विभागीय स्तर पर गहनता से जाँच की जानी सुनिश्चित की जाये अनुपालना लेखा परीक्षा में वांछित है।

9.6 पंचायत की माप पुस्तिकाओं के रख-रखाव में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज ((वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के चैप्टर-11 के नियम 101 (ग) के अनुसार तकनीकी सहायकों की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ट अभियंता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत के तकनीकी स्तर पर करवाए गए निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाओं के अवलोकन में पाया गया कि यह उक्त नियमानुसार कनिष्ट अभियंता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं की गई थी इसके अतिरिक्त माप पुस्तिका में तकनीकी सहायक द्वारा सामग्री खपत विवरण तैयार नहीं किया गया था जोकि न केवल अनुचित हैं अपितु इसके अभाव में यह ज्ञात करना जटिल हो जाता है कि वास्तव में कितनी सामग्री किसी कार्य विशेष हेतु क्रय की गई कितनी उपभोग की तथा कितनी शेष बची ? इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 11 दिनांक 23-07-2024 के प्रत्युत्तर में कहा गया कि भविष्य में उक्त अनियमितताओं की पुनरावृत्ति नहीं की जाएगी। उत्तर संतोषजनक नहीं हैं उक्त अनियमितताओं के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये।

9.7 सयुंक हस्ताक्षर के बिना ही राशि ₹5.96 लाख का अनियमित भुगतान करने बारेः-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम **49(1)(2)** के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान हेतु ग्राम पंचायत प्रधान व सचिव दोनों द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जाना जरुरी है।

ग्राम पंचायत के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत प्रधान द्वारा एकल हस्ताक्षर से ही (संलग्न परिशिष्ट "5") राशि ₹595724/- भुगतान किये गए थे जोकि न केवल उक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना है अपितु यह संदिग्ध भी प्रतीत होता है जिसके अंतर्गत राशि के दुर्विनियोजन की संभावना को भी नहीं नकारा जा सकता है एवं न ही किये गए भुगतानों की सत्यता व प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकी।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 22-07-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव ने कहा कि, भविष्य में नियमानुसार संयुक्त हस्ताक्षर उपरान्त ही बिलों का भुगतान किया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अत: नियमविरुद्ध किये गए भुगतानों को न्योयचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.8 राशि ₹1.93 लाख के क्रय स्टोर/स्टॉक को स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज न करना एवं   पंचायत के स्टॉक रजिस्टर के रख-रखाव में पाई गई विविध अनियमिताओं बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **चैप्टर-8 नियम 69 के अनुसार** सारा स्टोर (सामान) जब प्राप्त किया जाता है ,उसका यथास्थिति, परिक्षण, गणना, माप या तोल किया जायेगा और तुरंत स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट किया जायेगा एवं नियम 70 से 72 में वर्णित विभिन्न नियमों की अनुपालना आवश्यक है।

ग्राम पंचायत द्वारा अन्य अनुदानों हेतु संधारित स्टॉक रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि, पंचायत द्वारा संलग्न परिशिष्ट "5" के अनुसार राशि ₹192824 के स्टोर/स्टॉक को स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज नहीं किया गया था जोकि अनुचित है। इसके अतिरिक्त पंचायत द्वारा स्टोर/स्टॉक की प्राप्ति, उसे जारी करने, उसका भण्डारण करने एवं स्टोर के लेखे उक्त नियमानुसार नहीं रखे गए थे। स्टोर को जारी करने हेतु मांगपत्र, प्राप्तकर्ता की अभीस्वीकृति/हस्ताक्षर के बिना प्राप्त स्टोर को एक साथ जारी करना एवं जारी करने की तिथि इत्यादि भी अंकित न होना, प्राप्त स्टोर/स्टॉक का परिक्षण, गणना माप-तोल एवं स्टेशनरी स्टॉक रजिस्टर का संधारण न करना न केवल उक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना हैं अपितु इससे क्रय स्टोर/स्टॉक की दुर्विन्योजन की संभावना को भी नहीं नकारा जा सकता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 22-7-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा सूचित किया कि स्टोर/स्टॉक के भंडारण, जारी करने के सम्बन्ध में भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चूँकि यह न केवल नियमविरुद्ध है अपितु स्टॉक रजिस्टर के रख-रखाव में पाई विविध अनियमितताओं के दृष्टिगत से

सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता । अत: नियमविरुद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली को न्योयचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये तदानुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.9 मनरेगा मटेरियल व वर्क रजिस्टर के संधारण में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे :-

ग्राम पंचायत के मनरेगा ऑनलाइन मटेरियल रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा मनरेगा अनुदान के तहत वित्तीय वर्षो 2022-2023 एवं 2023-2024 के दौरान कुल ₹154867.75 का स्टोर/स्टॉक क्रय किया गया था परन्तु उक्त ऑनलाइन रजिस्टर में क्रय स्टोर/स्टॉक को तकनीकी सहायक द्वारा न तो सत्यापित किया गया था और न ही इसके अथशेष, अन्तशेष तथा स्टॉक रजिस्टर प्रविष्टि का विवरण भरा गया है इसके अतिरिक्त मनरेगा ऑनलाइन वर्क रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि इसमें कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि को नहीं भरा जा रहा है जोकि न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु इसके अभाव में स्टोर/स्टॉक के दुर्विन्योजन व कार्य में किसी प्रकार के अनिधिकृत समायोजन प्रविष्टि की संभावना को भी नहीं नकारा जा सकता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 व 07 दिनांक 19-06-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा सूचित किया कि, इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह एक गम्भीर अनियमितता है जोकि उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाई जाती है। अत: नियमविरुद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली को न्योयचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये तदानुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.10 मनरेगा के अंतर्गत किये भुगतानों के Fund Transfer Orders को प्रस्तुत न करना:-

ग्राम पंचायत के नमूना अंकेक्षण में मनरेगा के अंतर्गत किये गए भुगतान के FTOs (fund transfer orders) को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि यह

सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि जो बिल पंचायत द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गए हैं वास्तव में उन्ही को भुगतान किया गया है।

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 07 दिनांक 22-07-2024 को सचिव को उक्त FTOs को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया कि मनरेगा भुगतानों के FTOs पंचायत में उपलब्ध नहीं है इस कारण यह अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये जा सकते। उत्तर संतोषजनक नहीं है अत: FTOs का पंचायत में न पाया जाना को न्योयचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.11 राशि ₹1.95 लाख के मस्ट्रोलों के भुगतान में पाई गई वित्तीय व अन्य विविध अनियमितताओं बारे :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 93(क) एवं अधिनियम 1994 की धारा 23 के अधीन गठित संकर्म समिति एवं नियम 108 के अनुसार सतर्कता समिति पंचायत द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेगी। पंचायत खणी के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत द्वारा अग्रतालिका के विवरणनुसार कुल राशि ₹613788/- का व्यय किया गया। जिसमें निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गई :-

1. मस्टरोल पर सतर्कता व निर्माण समिति के हस्ताक्षर न करवाना।
2. प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना भुगतान करना।
3. मस्टरोल में दर्ज कुल मजदूरों की उपस्थिति को प्रधान द्वारा सत्यापित न करना।
4. मस्टरोल में अन्य विवरण जैसे: प्रस्ताव संख्या, दिनांक ,कार्य का नाम , कार्य शुरू करने एवं समाप्ति की तिथि इत्यादि का विवरण अपूर्ण पाया जाना।

क्र०स०/ अनुदान	निर्माण कार्य	मस्ट्रोल संख्या	वाउचर/ दिनांक	राशि
1.VKVNY	कार्य:पक्का पाथ मेन रोड से नाग मंदिर	32819	10/28-04-22	31125

2.LADF	कार्य: सराये भवन हरिजन बस्ती अर्की	32820	17/10-05-22	55065
3.VKVNY	कार्य : महिला मंडल भवन चंगुई	32821	26/01-08-22	63813
4.LADF	कार्य: स्टेज कार्य खण्णी	32852	02/13-04-23	45062
		कुल योग		**₹195065**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 10 दिनांक 22-07-2024 के द्वारा उक्त प्रकरण को सचिव, के ध्यानार्थ वस्तुगत स्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा उपरोक्त तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, उक्त वर्णित अनियमितताओं की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं की जायेगी तथा कृत कार्रवाई से अवगत करवा दिया जायेगा। अत: इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

10.1 रोकड़ बहियों का रख-रखाव/संधारण में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रोकड़बहियों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत खणी के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा समस्त अनुदानों व स्व-स्त्रोतों की रोकड़बहियों का संधारण ऑनलाइन व मैन्युअल दोनों माध्यम से किया जा रहा है जबकि विभाग के दिशा-निर्देशों अनुसार रोकड़बहियों का संधारण e-ग्राम स्वराज में ही किया जाना अपेक्षित है। परन्तु पंचायत द्वारा ऑनलाइन संधारित रोकड़बहियों को अंकेक्षण में सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अंकेक्षण में प्रस्तुत मैन्युअल संधारित रोकड़बहियों का रख-रखाव उचित तरीके से नहीं किया गया था इसमें कटिंग, ओवरराइटिंग के साथ-साथ न तो अथशेष व अन्तशेष लिए गए हैं और न ही इसमें दर्ज/प्रविष्ट Transctions के प्रगतिशील योग किये गए हैं जोकि न केवल लेखांकन नियमों के विरुद्ध हैं अपितु इससे पंचायत द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ट 1 व 2 में लिए अथशेषों व अंतशेषों को सत्यापित किया जा सका। ऐसी स्थिति में बैंक से किये

जा रहे लेन-देन पर भी कोई नियन्त्रण नहीं रह जाता तथा रोकड़बही, बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती । इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में पंचायत समिति द्वारा बनाई जा रही व उपलब्ध करवाई गई मासिक आय-व्यय तालिका, वार्षिक वित्तीय विवरण तथा संतुलन पत्र की मदें भी विश्वसनीय नहीं रह जाती तथा इसमें अनिधिकृत समायोजन की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस सन्दर्भ में जारी अधियाचना संख्या-07 दिनांक 22-07-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि, समस्त रोकड़बहियों का संधारण मेनुअल माध्यम से किया जा रहा है एवं ऑनलाइन संधारित रोकड़बहियाँ अपूर्ण होने के कारण वह लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की जा सकी मेनुअल संधारित रोकड़बहियों में अंतशेष, अथशेष व प्रगतिशील योग नहीं किया गए हैं एवं परिशिष्टों में दर्शाए गये अथशेष व अन्तशेष पंचायत की परीक्षा संतुलन सूची व बैंक पासबुक से लिया गए हैं । अतः भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से आगामी लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

10.2 पंचायत के वार्षिक लेखा खातों, आय-व्यय विवरणों एवं बैलेंस शीट इत्यादि को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे :-

ग्राम पंचायत खणी के नमूना अंकेक्षण में पंचायत द्वारा संधारित किये जाने वाले आवश्यक अभिलेखों यथा वार्षिक प्राप्ति एवं भुगतान खाता, ट्रायल बैलेंस, आय एवं व्यय विवरण, बैलेंस शीट एवं अन्य वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि, पंचायत के उक्त लेखा खातों/अभिलेखों का अंकेक्षण के दौरान सत्यापन व प्रमाणीकरण नहीं किया जा सका।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 22-07-2024 द्वारा पंचायत सचिव से उक्त वित्तीय विवरणों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने को कहा गया जिसके जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया गया कि उक्त समस्त अभिलेख/वित्तीय विवरण पंचायत में उपलब्ध नहीं है जिस कारण यह अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया जा सके। उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अत: उक्त अभिलेखों/वित्तीय विवरणों का संधारण न करना अथवा उनका पंचायत रिकॉर्ड में उपलब्ध न होना न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु यह आपत्तिजनक भी है। इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.3. खाता "क" तथा "ख" को अलग से नियमानुसार संधारित न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सम्परीक्षा, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 4** के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के लिए खाता "क" तथा अनुदानों और विशेष प्रयोजनों के लिए खाता "ख" अलग-अलग से खोले जाने अपेक्षित हैं।

वितीय वर्ष 2022-23 से 2023-24 के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के खाते को पृथक नहीं रखा गया है। अपितु अन्य अनुदानों जैसे VKVNY,LADA,TSC व 3rd/5th स्टेट का एक बैंक खाते एवं एक ही रोकड़बही में संधारण किया जा रहा है। जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस सम्बध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 22-07-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत के स्व-स्त्रोत आय व्यय के लिए पृथक बैंक खाता खुलवा लिया जाएगा। उत्तर सन्तोषजनक नहीं है। अत: इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.4 महत्वपूर्ण रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार न करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 29 से 31** व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम के **नियम 34** के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव या तो अपूर्ण था अथवा निर्धारित प्रपत्र पर नियमानुसार संधारित नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम	टिप्पणी
1.	बजट प्राक्कलन	11	37	अपूर्ण
2.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30	संधारित नहीं
3.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	15(1)	संधारित नहीं
4.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)	संधारित नहीं
5.	वर्गीकृत सार	08	29(4)	संधारित नहीं
6.	निर्माण कार्य रजिस्टर	--------	103	संधारित नहीं
7.	तकनीकी जाँच पड़ताल व मंजूरी आकलन	31	95(1)	संधारित नहीं
8.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) AB	संधारित नहीं
9.	बही खाता (Ledger)	07	29 (1 से 4)	संधारित नहीं
10.	बिल रजिस्टर	13	48	संधारित नहीं
11.	ग्राम पंचायत का स्टॉक/सामग्री रजिस्टर	01 व 06	34	अपूर्ण
12.	अंकेक्षण प्रतिवेदन/प्रतिवेदनों रजिस्टर	30	89	संधारित नहीं

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 22-07-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि, भविष्य में विहित रजिस्टरों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा। अत: भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से आगामी लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

11. भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करवाने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण,सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के **नियम 73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

परन्तु ग्राम पंचायत खणी की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 22-07-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, भविष्य में क्रय स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन करवा कर विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर तकर्संगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अत: मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से आगामी लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12. **लघु आपत्ति विवरणिका:-** लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। अपितु समय-समय पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं, नियमों/प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया।

13. **निष्कर्ष :-** उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत न केवल लेखों के सुधार अपितु नियमानुसार कार्रवाई न करके वित्तीय व विविध प्रक्रियात्मक चूक सम्बन्धी अनियमिततायें की जा रही है। यह बात उच्चाधिकारियों के समक्ष विशेष तौर पर इस आशय से लाई जाती है कि, उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत पंचायत के गहन जांच की नितांत आवश्यकता है ताकि किसी भी प्रकार से सरकारी धन के दुर्विनियोजन की संभावना को पूर्णतः नकारा जा सके।

05 SEP 2024

(कृष्ण लाल नेगी) 05/9/24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

4441 – 4445 फा0/60

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) 15 (7) 40/2019 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा हि0प्र0।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत खणी, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

05 SEP 2024

(कृष्ण लाल नेगी) 05/9/24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

फा0/60

परिशिष्ट "1" पैरा संख्या 4.1 में संदर्भित

Financial Position of GP Khanni for the Year 2022-2023 To 2023-2024

1. Own Source (5th SFC/VKVNY/LADA etc.)

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	936511.55	1206196.00	2142707.55	1171874.00	970833.55
2023-24	970833.55	646290.00	1617123.55	1129640.00	487483.55

2. Grants in aid

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	4301392.00	5188583.21	9489975.21	4342396.21	5147579.00
2023-24	5147579.00	3219014.89	8366593.89	4693655.89	3672938.00

4160421.55

नोट: प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत खणी, विकास खंड भरमौर में उपरोक्त निधियों के अंतर्गत चार रोकड़ बहियाँ का संधारण किया जा रहा है।

1+2 (487483.55+3672938)

	Closing Balance as per Cash Books	4160421.55
	Closing Balance as per Bank Passbook	3764725.30
Difference	(Less in Bank PassBook	395696.25

सचिव
ग्राम पंचायत खणी
विकास खण्ड भरमौर
जिला चम्बा (हि.प्र.)

Income Statement of GP Khanni Development Block Bharmour for the year 2022-2023

Months	Own Sources	3rd/5th Sfc	LADA/TSC/VKVNY	SBM	LADA	14TH FC	15TH FC	MGREGA	TOTAL
April	11944.00		190000.00	499.00		280752.00	28102.00	174021.00	**685318.00**
May		83400.00						475355.00	**558755.00**
June			86000.00		1693.00		401259.00		**488952.00**
July				509.00		1326.00	28843.00		**30678.00**
August	4069.00	58200.00					174702.00	571968.00	**808939.00**
September	8607.00		150000.00		1639.00		31403.00	463394.72	**655043.72**
October	3840.00	30000.00		518.00		1222.00	601887.00	355813.00	**993280.00**
November								356557.80	**356557.80**
December			210000.00		1632.00		262053.00	430735.09	**904420.09**
January				522.00		969.00	35675.00	9638.75	**46804.75**
February	**8436.00**							23479.85	**31915.85**
March	1700.00		360000.00		1626.00	632.00	470157.00		**834115.00**
Total	**38596.00**	**171600.00**	**996000.00**	**2048.00**	**6590.00**	**284901.00**	**2034081.00**	**2860963.21**	**6394779.21**

Expenditure Statement of GP Khanni Development Block Bharmour for the year 2022-2023

Months	Own Sources	3rd/5th Sfc	LADA/TSC/VKVNY	SBM	LADA	14TH FC	15TH FC	MGREGA	TOTAL
April	13200.00	19500.00	168080.00			174894.00		174021.00	**549695.00**
May	**14600.00**		**166935.00**			**102800.00**	**77880.00**	475355.00	**837570.00**
June	10000.00	34500.00	47868.00			34960.00	96043.00		**223371.00**
July									
August		25000.00	161322.00			11180.00		571968.00	**769470.00**
September	5000.00	58480.00	109860.00			17500.00	149423.00	463394.72	**803657.72**
October			122229.00			17401.00	30300.00	355813.00	**525743.00**
November	10000.00		29300.00					356557.80	**395857.80**
December							145612.00	430735.09	**576347.09**
January		98500.00	62500.00				329734.00	9638.75	**500372.75**
February						86732.00	117454.00	23479.85	**227665.85**
March	15000.00						89520.00		**104520.00**
Total	**67800.00**	**235980.00**	**868094.00**			**445467.00**	**1035966.00**	**2860963.21**	**5514270.21**
									837570.00

Remarks In fiancial year 2022-23 for month Selection feburaray has been taken as in april interst earned has been shown

32

Income Statement of GP Khanni Development Block Bharmour for the year 2023-2024

Months	Own Sources	3rd/5th SFC	LADA/TSC/ VKVNY	SBM	LADA	14TH FC	15TH FC	MGREGA	TOTAL
April	5009.00	111672.00		514.00			33405.00		**150600.00**
May								284468.00	**284468.00**
June	4486.00	38400.00	180000.00		1673.00			748722.00	**973281.00**
July				524.00			28199.00	260604.21	**289327.21**
August	3300.00		200000.00					237291.00	**440591.00**
September					1685.00				**1685.00**
October	4938.00			534.00			23744.00	47882.80	**77098.80**
November		42679.00					176295.00	229702.00	**448676.00**
December	4498.00				1678.00			627590.54	**633766.54**
January	1290.00		30000.00	538.00			22984.00	300419.00	**355231.00**
February	**20018.00**							165071.34	**185089.34**
March				534.00	1689.00		23268.00		**25491.00**
TOTAL	**43539.00**	**192751.00**	**410000.00**	**2644.00**	**6725.00**		**307895.00**	**2901750.89**	**3865304.89**

Expenditure Statement of GP Khanni Development Block Bharmour for the year 2023-2024

Months	Own Sources	3rd/5th Sfc	LADA/TSC/ VKVNY	SBM	LADA	14TH FC	15TH FC	MGREGA	TOTAL
April	8284		**145582.00**			**39633.00**	**883891.00**		**1077390.00**
May		36000.00	142050.00				206018.00	284468.00	**668536.00**
June			221374.00				48212.00	748722.00	**1018308.00**
July			23964.00				259025.00	260604.21	**543593.21**
August			19500.00				291214.00	237291.00	**548005.00**
September	12000.00		142445.00						**154445.00**
October		36000.00	3281.00				1748.00	47882.80	**88911.80**
November			2500.00				31564.00	229702.00	**263766.00**
December	1500.00	27000.00	9980.00					627590.54	**666070.54**
January	15255.00		99648.00					300419.00	**415322.00**
February			115602.00				27600.00	165071.34	**308273.34**
March			67675.00				3000.00		**70675.00**
TOTAL	**37039.00**	**99000.00**	**993601.00**			**39633.00**	**1752272.00**	**2901750.89**	**5823295.89**
									1077390.00

सचिव ग्राम पंचायत खणी विकास खण्ड भरमौर (हि.प्र.)

परिशिष्ट "2" पैरा संख्या 4.1 में सन्दर्भित

Financial Position Grants in Aids of GP Khanni for the Year to 2022-2023 To 2023-2024

Sr.No	Particulars	Year	Opening	Receipt	Total	Expenditure	Closing
1	MGNREGA	2022-23	0.00	2860963.21	2860963.21	2860963.21	0.00
		2023-24	0.00	2901750.89	2901750.89	2901750.89	0.00
2	15TH FC	2022-23	3798915.00	2034081.00	5832996.00	1035966.00	4797030.00
		2023-24	4797030.00	307895.00	5104925.00	1752272.00	3352653.00
3	14th FC	2022-23	200199.00	284901.00	485100.00	445467.00	39633.00
		2023-24	39633.00	0.00	39633.00	39633.00	0.00
4	SBM	2022-23	67495.00	2048.00	69543.00	0.00	69543.00
		2023-24	69543.00	2644.00	72187.00	0.00	72187.00
5	LADA Share	2022-23	234783.00	6590.00	241373.00	0.00	241373.00
		2023-24	241373.00	6725.00	248098.00	0.00	248098.00

सचिव
ग्राम पंचायत खणी
विकास खण्ड भरमौर
जिला चम्बा (हि.प्र.)

परिशिष्ट– "3"

ग्राम पंचायत खणी, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना (पैरा संख्या 9.4 में संदर्भित)

Sr.No. Head	Vr. No./ Date	Material	Qty./rate	Supplier	Amount	Remarks
1.LADA	15/ 10-05-22	Stone	4750@8	M/S Neelam Kumar PO Khanni, Chamba	35000	**Quotations**
2.LADA	16/ 10-05-22	Wooden Chokhat, Kadi etc.	-	M/S Imported Timber Depot Bharmour	30000	**Quotations**
3.LADA	30/ 26-08-22	Bricks & Sariya	-	M/S Swaroopa Nand & Sons Bharmour, Chamba	89900	**Tender**
4.SF	47/ 30-03-23	Stationery	-	Sh. Manimahesh Printing Press, Chamba	15095	**Quotations**
5.LADA	16/ 10-05-22	Wooden Chokhat, Kadi etc.	-	M/S Imported Timber Depot Bharmour	46135	**Quotations**
6.LADA	05 & 06/ 25-04-23	Sariya	-	M/S Surinder Kumar PO Gharer,Chamba	68025	**Tender**
7.14TH FC	03-05/ 06-04-22	Office Chair	200@680	M/S Pawan Trunk House, Bharmour	136000	**Tender**
8.15TH FC	05-08/ 15-04-23	Grill Work	1030kg@ 130	M/S Kewal Singh Welding Works, Bharmour	133900	**Tender**
9.15th FC	11,12,15,16/ 17-04-2023	Bricks Tiles	3500no@12 1000sqf@75	M/S Swaroopa Nand & Sons Bharmour, Chamba	117000	**Tender**
10.15TH FC	17/17-04-23	Cement Carrige	-	M/S Om Praksah PO Bharmour	16000	**Quotations**
				Total	**687055**	

सचिव
ग्राम पंचायत खणी
विकास खण्ड भरमौर
जिला चम्बा (हि.प्र.)

परिशिष्ट "4" की संख्या 8.2 व 8.3 में सन्दर्भित

DETAIL OF VENDER/SUPPLIER IN R/O GP Khanni FROM WHICH PURCHASE WITHOUT "X,W" FORM & NEITHER ROYALITY DEDUCTED & PROBABALE LOSS OF GST 01-04-2022 TO 31-03-2024

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	QTY. M3	QTY. TONNE	AMOUNT PAID	RATE OF ROYALITY	ROYLITY NOT PAID	AMOUNT TO BE PAID	GST PAID ON BILL
1	M/S Ghumant Singh	VKVNY	09,	Sand	3.28	5.25	10496	80	419.84	9996.19	499.81
	PO Khanni, Chamba		4/28/2022	Aggre.	6.57	12.75	16425	80	1019.66	15642.86	782.14
2	M/S Shiv Kumar	LADF	25/	Sand	3.07	4.91	16885	80	392.96	16080.95	804.05
	PO Khanni Bharmour		8/1/2022					80	0.00	0.00	0.00
3	Sh. Santosh Kumar	LADF	29/26-08-22	Stone	6.9	15.46	37950	80	1236.48	36142.86	1807.14
4	Sh. Neelam Kumar	LADF	15/10-05-22	Stone	31.67	70.94	35000	80	5675.26	33333.33	1666.67
5	M/S Shiv Kumar	LADF	18/23-06-23	Sand	3.27	5.23	17960	80	418.56	17104.76	855.24
6	Sh. Shiv Kumar	14th FC	11-13/	Sand	3.37	5.39	9242	80	431.36	8801.90	440.10
			5/21/2022	Aggre.	1.78	3.45	6593	80	276.26	6279.05	313.95
				Stone	64.05	143.47	64165	80	11477.76	61109.52	3055.48
7	Sh. Roshan Lal	14th FC	14/21-05-222	Sand	3.11	4.98	11000	80	398.08	10476.19	523.81
8	Sh. Neelam Kumar	15th FC	13/22-11-22	Sand	2.7	4.32	11502	80	345.60	10954.29	547.71
				Aggre.	5.41	10.50	18935	80	839.63	18033.33	901.67
9	M/S Swaroopa Nand &	15th FC	20-21	Sand	8.39	13.42	37755	80	1073.92	35957.14	1797.86
	Sons, Bharmour		1/6/2023	Aggre.	6.35	12.32	26670	80	985.52	25400.00	1270.00
9	M/S Kikar Singh	15th FC	05 & 06	Stone	26.12	58.51	41800	80	4680.70	39809.52	1990.48
	PO Pranghla,Bharmour		1/24/2023	Aggre.	5.85	11.35	20475	80	907.92	19500.00	975.00
10	M/S Kikar Singh	15th FC	32-34	Stone	53.33	119.46	76000	80	9556.74	72380.95	3619.05
	PO Pranghla,Bharmour		2/26/2023	Aggre.	8.46	16.41	41454	80	1312.99	39480.00	1974.00
11	Sh. Kuldeep Singh	15th FC	35/03-03-23	Sand	6.98	11.17	24650	80	893.44	23476.19	1173.81
12	M/S Swaroopa Nand &	15th FC	13-14/	Sand	11.32	18.11	20000	80	1448.96	19047.62	952.38
	Sons, Bharmour		4/15/2023					80	0.00	0.00	0.00
13	M/S Swaroopa Nand &	15th FC	11-12 & 15-16	Bricks		3500no	42000	0	0.00	40000.00	2000.00
	Sons, Bharmour		4/15/2023	Tiles		1000sqf	75000	0	0.00	71428.57	3571.43
14	M/S Ashok Kumar	15th FC	20/01-05-23	Sand	28.26	45.22	14970	80	3617.28	14257.14	712.86
	PO Khanni, Chamba			Aggre.	6.94	13.46	29424	80	1077.09	28022.86	1401.14
15	M/S Ashok Kumar	15th FC	24 & 25/	Sand	4.86	7.78	19640	80	622.08	18704.76	935.24
	PO Khanni, Chamba		5/21/2023	Aggre.	8.1	15.71	34020	80	1257.12	32400.00	1620.00
16	M/S Ashok Kumar	15th FC	46 to 48/	Sand	4.73	7.57	24596	80	605.44	23424.76	1171.24
	PO Khanni, Chamba		8/31/2023	Stone	38.76	86.82	58150	80	6945.79	55380.95	2769.05
				Aggre.	8.19	15.89	41769	80	1271.09	39780.00	1989.00
17	M/S Ashok Kumar	15th FC	35 to 37/	Sand	3.73	5.97	18650	80	477.44	17761.90	888.10
	PO Khanni, Chamba		7/24/2023	Aggre.	7.46	14.47	34445	80	1157.79	32804.76	1640.24
				Stone	18.67	41.82	25200	80	3345.66	24000.00	1200.00
							962821		**64168.43**	**916972.38**	**45848.62**

Remarks:

1. All Figures are taken up to 2 Decimal
   Rate of Royalty is taken Rs60/80 per Tonne as Per Second Schedule of Deptt. Of Industry & Mining
   Conversion Factor
2. **A. From Square Feet to Cubic Meter M3**
   35.31 Sq.Ft. = 1 Cubic Meter (M^3) Common to all items Sand, Stone & Aggregate
3. **B. From Cubic Meter (M^3) to Tonne**

One Cubic Meter (M^3) Sand	**1.60**
One Cubic Meter (M^3) Aggregate Mi	**1.94**
One Cubic Meter (M^3) Aggregate	**1.46**
One Cubic Meter (M^3) Stone	**2.24**

4. All items Sand, Stone & Aggre. **average weight** are taken for conversion while cubic meter to tonne.
5. As per quatation terms and condition Rate are inclusive of all Taxes but it is not cleared wether it is paid or nc

प्रधान
ग्राम पंचायत खणी
विकास खण्ड भरमौर
जिला चम्बा (हि.प्र.)

परिशिष्ट– “5”

ग्राम पंचायत खणी, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश संयुक्त हस्ताक्षर के बिना अनियमित भुगतान करने एवं स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज न होने बारे (पैरा संख्या ~~9.2~~ 9.7 व 9.8 में संदर्भित)

Sr.No. Head	Vr. No./ Date	Material	Qty./rate	Supplier	Amount	Remarks
1. VKVNY	08/ 28-04-22	Sariya	-	M/S Gollu Hardware Store, Bharmour, Chamba	47209	**Joint Sign & Stock Entry**
2.LADA	16/ 10-05-22	Wooden Chokhat, Kadi etc.	-	M/S Imported Timber Depot Bharmour	30000	**Joint Sign & Stock Entry**
3.SF	47/ 30-03-23	Stationery	-	Sh. Manimahesh Printing Press, Chamba	15095	**Joint Sign & Stock Entry**
4.LADA	03/ 13-04-23	Wooden Chokhat, Kadi etc.	-	M/S Imported Timber Depot Bharmour	32495	**Joint Sign & Stock Entry**
5.LADA	05 & 06/ 25-04-23	Sariya	-	M/S Surinder Kumar PO Gharer,Chamba	68025	**Joint Sign & Stock Entry**
6.14TH FC	03-05/ 06-04-22	Office Chair	200@680	M/S Pawan Trunk House, Bharmour	136000	**Joint Sign**
7.15TH FC	05-08/ 15-04-23	Grill Work	1030kg@ 130	M/S Kewal Singh Welding Works, Bharmour	133900	**Joint Sign**
8.15th FC	11,12,15,16 /17-04-23	Bricks Tiles	3500no@12 1000sqf@75	M/S Swaroopa Nand & Sons Bharmour, Chamba	117000	**Joint Sign**
9.15TH FC	17/17-04-23	Cement Carrige	-	M/S Om Praksah PO Bharmour	16000	**Joint Sign**
				Total	**595724**	

सचिव
ग्राम पंचायत खणी
विकास खण्ड भरमौर
जिला चम्बा (हि.प्र.)

परिशिष्ट "6" पैरा 7.2 (क, ख) में संदर्भित

वर्ष 2022-23 की विवाह रिपोर्ट

	नाम	विवाह की तारीख	पंजीकरण की तारीख		अपेक्षित वसूली	वसूली गई राशी	कम वसूली
01	देश राज राज पुत्र राम कुमार	04-05-2022	25-05-2022	BPL	50/-	50	Nil
02	अश्वनी कुमार पुत्र देश राज	06-06-2022	15-06-2022	BPL	50/-	50/-	Nil
03	मनु राम पुत्र पांडव राम	08-07-2022	29-07-2022	BPL	50/-	NIL	50/- Due
04	अजय कुमार पुत्र जागो राम	08-07-2022	03-08-2022	BPL	50/-	NIL	50/-Due
05	राजीव कुमार पुत्र जगदीश चंद	08-07-2022	19-08-2022	BPL	50/-	NIL	50/-Due
06	विकास कुमार पुत्र देश राज	19-07-2022	25-08-2022	BPL	50/-	NIL	50/-Due
07	रमण कुमार पुत्र भारत राम	20-07-2022	26-08-2022	BPL	50/-	NIL	50/- Due
08	संजीव कुमार पुत्र धुट राम	24-04-2021	12-09-2022	APL	400/-	NIL	400/- Due
09	बलविंदर सिंह पुत्र राम रतन	08-07-2022	12-09-2022	BPL	50/-	NIL	50/-/- Due
10	बलदेव कुमार पुत्र जिगरी	27-07-2022	25-09-2022	BPL	50/-	50/-	Nil
11	रोहित राम पुत्र मस्त राम	04-08-2022	25-09-2022	APL	400 /-	200/-	200/- Due
12	नारायण सिंह पुत्र गगन सिंह	02-08-2022	26-09-2022	APL	400 /-	200/-	200/- Due
13	अनिल कुमार पुत्र राज कुमार	26-09-2022	10-10-2022	APL	200/-	Nil	200/-Due
14	रसिया राम पुत्र घनिया	29-09-2022	10-10-2022	BPL	50/-	Nil	50/- Due
				Total	1900/-	550/-	1350/-

Total 14 no 5 no Recive Rs =550 Rs Demand 9no = 1350/- Rs

सचिव
ग्राम पंचायत खणी
विकास खण्ड भरमौर
जिला चम्बा (हि.प्र.)

परिशिष्ट "6" पैरा संख्या 7.2 (क,ख) में प्रदर्शित

वर्ष ~~2022-23~~ की विवाह रिपोर्ट
2023-24

	नाम	विवाह कि तारीख	पंजीकरण कि तारीख		अपेक्षित वसूली	वसूली की गई राशी	कम वसूली
01	मोहित कुमार पुत्र वीर सिंह	15-01-2023	25-01-2023	APL	200/-	NIL	200/- Due
02	इकबाल सिंह पुत्र प्रशोतम	09-03-2023	11-04-2023	APL	400/-	NIL	400/-Due
03	मंजीत सिंह पुत्र तिलक कुमार	03-05-2023	26-05-2023	APL	200/-	NIL	200/- Due
04	विपन कुमार पुत्र उत्तम	08-06-2023	16-06-2023	APL	200/	200/-	NIL
05	आशीष कुमार पुत्र राजमल	23-06-2023	10-07-2023	APL	200/-	NIL	200/- Due
06	मोहिंदर सिंह पुत्र धनी राम	02-07-2023	25-07-2023	BPL	50/-	NIL	50/-Due
07	शशि पाल् पुत्र प्यार सिंह	13-06-2023	26-07-2023	APL	400/-	200/-	200/- Due
08	अमित कुमार पुत्र चुनी लाल	24-10-2023	24-11-2023	BPL	50/-	50/-	NIL
09	जगदीश कुमार पुत्र नारायण	25-10-2023	25-11-2023	APL	200/-	200/-	NIL
10	रवि कुमार पुत्र हरि सिंह	01-10-2023	28-11-2023	APL	200/-	NIL	200/-Due
11	मुकेश कुमार पुत्र राम क्रशन	26-10-2023	03-01-2024	APL	400/-	NIL	400/-Due
				Total	2500/-	650/-	1850/-

Total 11 no Recive rs 4 no =650 Demand 7 no =1850/-

सचिव
ग्राम पंचायत खणी
विकास खण्ड भरमौर
जिला चम्बा (हि.प्र.)

परिशिष्ट "7" पैरा संख्या 8.4 में सन्दर्भित

Statement Showing Detail of Payment TDS Not Deducted in r/o GP Khanni DB Bharmour

SR. NO	VOUCHER NO./DATE	NAME OF FUND	PARTICULAR/ DETAIL OF PARTY	DISCRIPTION OF ITEM	AMOUNT	TDS @2 %	Remarks
1	38/ 26-10-2022	LADF	M/S Kewal Welding Works, Bharmour	Grill Works With Labour	82728.00	1654.56	IT Act Section 194C
2	05-08/ 15-04-2023	15TH FC	M/S Kewal Singh Welding Works, Bharmour	Grill Works With Labour	133900.00	2678.00	IT Act Section 194C
3	18/18-04-2023	15TH FC	M/S Him Urja Chamba	Street lights32no @15608	499456.00	9989.12	GST Act 2017 Sec. 51 A & No bill
				TOTAL	716084.00	14321.68	

सचिव
ग्राम पंचायत खणी
विकास खण्ड भरमौर
जिला चम्बा (हि.प्र.)

परिशिष्ट "8" पैरा संख्या 9.3 में सन्दर्भित

Statement Showing Detail of Payment not made on Proper/Tax Bill in r/o GP Khanni DB Bharmour

SR. NO	VOUCHER NO./DATE	NAME OF FUND/GRANT	PARTICULAR/ DETAIL OF SUPPLIER	DISCRIPTION OF ITEM	AMOUNT	Remarks
1	08/28-04-2022	VKVNY	M/S Gollu Hardware Store Bharmour,	Sariya	47200.00	Performa Bill
2	09/28-04-2022	VKVNY	M/S Ghumant Singh Village Lhala, Chamba	Sand 3.28m3@3200 Agg. 6.57m3@2500	26921.00	Plain Paper
3	15/10-05-2022	LADF	M/S Neelam Kumar PO Khanni, Chamba	Stone 31.67 m3@1105	35000.00	Performa Bill
4	20/25-05-2022	LADF	Sh. Roshan Lal	Sand & Aggregate	31500.00	Plain Paper
5	25/01-08-2022	LADF	Sh. Shiv Kumar	Sand 3.07m3@5500	16885.00	Plain Paper
6	03-05/06-04-2022	14th FC	M/S Pawan Trunk House Bharmour	200 Chairs@680	136000.00	Cash Memo
7	14/21-05-2022	14th FC	Sh. Roshan Lal	Sand 3.11m3@3537	11000.00	Plain Paper
8	01-02/05-05-2022	15TH FC	M/S Th. Dyal Singh Nurpur, Kangra	Interlock Tiles 3000@25.96	77880.00	Performa Bill
9	35/03-03-2023	15TH FC	Sh. Kuldeep Singh	Sand 6.98 M3@3532	24650.00	Plain Paper
10	05-08/15-04-23	15TH FC	M/S Kewal Singh Welding Works, Bharmour	Gril 1030kg@130	133900.00	Performa Bill
11	11-16/17-04-2023	15TH FC	M/S Swaroop Nand & Sons, Bharmour	Bricks, tiles and Sand	137000.00	Performa Bill
10	11-13/21-05-2022	14th FC	Sh. Shiv Kumar	Sand, Stone & Agg	80000.00	Plain Paper
				TOATL	757936.00	

सचिव
ग्राम पंचायत खणी
विकास खण्ड भरमौर
जिला चम्बा (हि.प्र.)